



बिहार ग्रामीण जीविकोपार्जन प्रोत्साहन समिति राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन, बिहार

१५४



प्रथम तल, विद्युत भवन -2, बेली रोड, पटना - 800 021, दूरभाष : +91-612-250-4980, फैक्स : +91-612-250 4960, ईमेल : info@brip.in, वेबसाइट : www.brip.in

पंत्रांक : BRUP/प्रभा-IBCU/1042/16/4789

Date : 15.02.2019

संकुल संघों के सशक्तिकरण हेतु कार्यालय आदेश

बिहार के सभी प्रखंडों के अंतर्गत विभिन्न चरणों में संकुल स्तर पर संकुल स्तरीय संघ का निर्माण किया गया है। इन संकुल स्तरीय संघों को समयानुसार सुदृढ़ बनाने, उनकी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए तथा परियोजना के महत्वपूर्ण गतिविधियों को संकुल स्तरीय संघों के द्वारा ही पूर्ण कराने के लिए संकुल स्तरीय संघों को समय – समय पर आवश्यकता अनुसार प्रोत्साहन की जरूरत है। संकुल स्तरीय संघों को कैडर प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, प्रशासन व्यवस्था तथा परियोजना के प्रमुख गतिविधियों यथा संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्धन, वित्तीय समावेशन, सामान्य जीविकोपार्जन, स्वच्छता, सरकारी / गैर सरकारी योजनाओं से जुड़ाव इत्यादि को पूरा करने के लिए प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई (BPIUs) एवं जिला परियोजना समन्वयन इकाई (DPCUs) के मदद की आवश्यकता है। संकुल स्तरीय संघ को सुदृढ़ बनाने के लिए श्रेणीबद्ध एवं सुचारू तरीके से प्रोत्साहन प्रदान करने की जरूरत है, जिसे निम्न प्रकार से पूरा किया जा सकता है :

- 1. राज्य स्तरीय संकुल संघ समन्वय समिति (CLF Coordination Committee at State level):**
राज्य स्तर पर 'संकुल संघ समन्वय समिति (CLF Coordination Committee)' का गठन किया गया है जिसके सदस्य : परियोजना समन्वयक – वित्तीय समावेशन, राज्य परियोजना प्रबंधक – संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्धन, राज्य परियोजना प्रबंधक – सूक्ष्म वित्त, राज्य परियोजना प्रबंधक – अनुश्रवण एवं मूल्यांकन, राज्य परियोजना प्रबंधक – जीविकोपार्जन तथा मुख्य वित्त पदाधिकारी होंगे। इस समिति की बैठक प्रत्येक माह होगी और इस बैठक में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के मार्गदर्शन में संकुल संघ के कार्यों की समीक्षा की जाएगी यथा – सामुदायिकरण (communitisation), वित्तीय, प्रशासनिक और वैधानिक व्यवस्था (Statuary System) की क्रियात्मकता आदि।
 - 2. जिला स्तरीय संकुल संघ सशक्तिकरण समिति (CLF Strengthening Committee at DPCU level):**
जिला स्तर पर 'संकुल संघ सशक्तिकरण समिति (CLF Strengthening Committee)' का गठन करना है जिसके सदस्य : प्रबंधक – संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्धन, प्रबंधक – सूक्ष्म वित्त, प्रबंधक – सामाजिक विकास, प्रबंधक – जीविकोपार्जन तथा वित्तीय प्रबंधक होंगे। इस समिति की बैठक मासिक / त्रिमासिक होगी। यह बैठक जिला परियोजना प्रबंधक के नेतृत्व में संकुल संघ के पदधारक (अध्यक्ष एवं सचिव) तथा संबंधित प्रखंड परियोजना प्रबंधक के साथ होगी और इस बैठक में सामुदायिकरण (communitisation), वित्तीय, प्रशासनिक और वैधानिक व्यवस्था (Statuary System) आदि की क्रियात्मकता की समीक्षा होगी।
- ❖ **जिला स्तरीय संकुल संघ सशक्तिकरण समिति की बैठक करने के पहले की तैयारियां:**
प्रबंधक – संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्धन / प्रशिक्षण अधिकारी सभी प्रखंड द्वारा दिए गए संकुल संघ के प्रतिवेदन और संबंधित मुद्दों को संकलित करेंगे। जिला परियोजना समन्वय इकाई संकुल संघ का ग्रेडिंग कर उससे सम्बंधित फ्लैक्स तैयार करेंगे जिसका उपयोग बैठक के दौरान किया जायेगा।

❖ जिला स्तरीय संकुल संघ सशक्तिकरण समिति का एजेंडा:

➢ सामान्य

- ग्रेडिंग और प्रखंड कालिटी टीम के बैठक-कार्यवाही पुस्तिका के आधार पर संकुल संघ एवं इससे सम्बंधित ग्राम संगठन तथा समूह की समीक्षा।

➢ संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्धन

- संकुल संघ कार्यालय की स्थापना, क्लस्टर फैसिलिटेटर का चयन एवं प्रशिक्षण।
- समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल संघ का मोड़यूलर प्रशिक्षण और संकुल संघ का परिभ्रमण।
- ग्राम संगठन एवं संकुल संघ के पदधारकों का प्रशिक्षण।
- कैडर मानदेय का भुगतान।

➢ वित्तीय समावेशन

- सदस्य से समूह, समूह से ग्राम संगठन एवं ग्राम संगठन से संकुल संघ में आई. सी. एफ./ सामान्य क्रृति की वापसी
- बैंक लिंकेज एवं एन. पी. ए. (NPA) की स्थिति - बैंक शाखाओं के साथ समन्वयन / ताल मेल
- सदस्यों के बीमा की स्थिति

➢ जीविकोपार्जन

- संकुल संघ के कार्यक्षेत्र में सामान्य जीविकोपार्जन गतिविधि यथा : श्रीविधि से खेती, किचेन गार्डन, सब्जी उत्पादन इत्यादि
- युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोजगार मेला के लिए लामबंदी

➢ स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता

- संकुल संघ के कार्यक्षेत्र में ओ. डी. एफ. एवं स्वच्छता की उपलब्धि और 'स्वास्थ्य, पोषण एवं स्वच्छता' पर जीविकमित्र का प्रशिक्षण
- समूह में बी. सी. सी. मोड़यूल का प्रशिक्षण

➢ सामाजिक विकास

- सरकारी योजनाओं से जुड़ाव जैसे – मनरेगा, पेंशन, बीमा इत्यादि

➢ वित्त

- पूंजी - प्रबंधन, संकुल संघ के कार्यालय की स्थापना के लिए सामग्रियों की खरीदारी,
- उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं कैडर मानदेय का भुगतान

➢ अन्य

- सामुदाय आधारित समस्याएँ एवं शिकायतें
- जिला परियोजना समन्वय इकाई, प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई एवं संकुल संघ का संयुक्त रूप से फॉलो अप योजना बनाना,
- अन्य

नोट:- जिला परियोजना समन्वय इकाई संकुल संघ के फ्लैक्स का अद्यतन करेंगे और उसका एक प्रतिलिपि बैठक-कार्यवाही पुस्तिका के साथ राज्य परियोजना प्रबंधन इकाई को भेजेंगे। जिला परियोजना समन्वय इकाई बैठक-कार्यवाही पुस्तिका, स्पष्ट कार्य योजना के साथ सम्बंधित प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई को भी भेजेंगे और नियमित रूप से उसका फॉलो अप करेंगे।

❖ जिलास्तरीय संकुल संघ सशक्तिकरण समिति की भूमिका एवं जिम्मेदारी

क्र.	कार्य	उत्तरदायित्व
1	निधि (फण्ड) - प्रबंधन की समीक्षा : संकुल संघ स्तर पर समय से फण्ड उपलब्ध करना तथा संकुल संघ द्वारा समय पर मांगपत्र (इंडेंट) और उपयोगिता प्रमाण पत्र जमा करना।	वित्त प्रबंधक
2	संकुल संघ स्तर पर विभिन्न विषयगत गतिविधियों को विभिन्न विषयगत प्रबंधकों के साथ समन्वय स्थापित कर संस्थानीकरण (Institutionalization) करना।	प्रबंधक – संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्धन
3	संकुल संघ द्वारा समय पर कैडर का चयन, मूल्यांकन और मानदेय का भुगतान।	प्रबंधक – संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्धन
4	वैधानिक आवश्यकता और अनुपालन को पूरा करना (निबंधन, वार्षिक आम सभा, वार्षिक अंकेक्षण, वार्षिक रिटर्न फाइलिंग इत्यादि)।	प्रबंधक – संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्धन एवं प्रबंधक - सामुदायिक वित्त
5	जिला सहकारिता कार्यालय के साथ समन्वय एवं संपर्क स्थापित कर ग्राम संगठन और संकुल संघ का निबंधन करवाना।	प्रबंधक – संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्धन / प्रशिक्षण अधिकारी
6	सामुदायिक संस्थाओं का उत्कृष्ट लेखांकन और आतंरिक अंकेक्षण।	प्रबंधक - सामुदायिक वित्त
7	सी. आर. पी., कैडर, सामुदायिक संस्था और उपसमिति के प्रशिक्षण का आंकलन और उसके आधार पर क्षमतावर्धन – योजना बनाकर उनका क्षमता वर्धन करना।	प्रबंधक – संस्था निर्माण एवं क्षमतावर्धन / प्रशिक्षण अधिकारी
8	संकुल संघ एवं ग्राम संगठन का विभिन्न प्रकार के सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रम से जुड़ाव।	प्रबंधक – सामाजिक विकास
9	उत्पादक समूह के द्वारा विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधि को करना।	प्रबंधक – जीविकोपार्जन
10	समूह के बैंक लिंकेज के लिए बैंक शाखाओं के साथ समन्वयन करना और सदस्यों की बीमा।	प्रबंधक – सूक्ष्म वित्त
11	वार्षिक कार्य योजना एवं बजट का अनुमोदन सुनिश्चित करना।	प्रबंधक - अनुश्रवण एवं मूल्यांकन

3. **प्रखंड स्तरीय संकुल संघ गुणवत्ता समिति (CLF Quality Committee at Block Level):**

प्रखंड स्तर पर 'संकुल संघ गुणवत्ता समिति (CLF Quality Committee)' का गठन करना है जिसके सदस्य : संकुल संघ – एंकर, लेखापाल, जीविकोपार्जन विशेषज्ञ, संकुल संघ – लेखापाल और प्रखंड के प्रत्येक संकुल संघ की दो पदधारक (अध्यक्ष एवं सचिव) होंगी। इस समिति की अध्यक्षता प्रखंड परियोजना प्रबंधक करेंगे। यह समिति प्रत्येक माह संकुल संघ के वार्षिक कार्य योजना के आधार पर उसकी प्रगति, सामुदायिकरण, वित्तीय, प्रशासनिक और वैधानिक व्यवस्था आदि की क्रियात्मकता की समीक्षा करेंगे। प्रखंड मेंटर अनिवार्य रूप से इस बैठक में हिस्सा लेंगे।

❖ **प्रखंड स्तरीय संकुल संघ गुणवत्ता समिति की बैठक करने के पहले की तैयारियां :**

संकुल संघ – एंकर, प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई में ग्राम संगठन का मासिक प्रतिवेदन, ग्राम संगठन का ग्रेडिंग प्रपत्र, संकुल संघ का मासिक प्रतिवेदन, संकुल संघ का प्राप्ति – भुगतान विवरणी इत्यादि जमा करना सुनिश्चित करेंगे। प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई, संकुल संघ के मासिक प्रतिवेदन के आधार पर संकुल संघ का ग्रेडिंग प्रपत्र तैयार करेंगे और फ्लैक्स को भी अद्यतन करेंगे जिसका उपयोग बैठक के दौरान किया जायेगा। बैठक की तैयारी का कार्य संकुल संघ के कार्यालय में ही होगा और इसमें संकुल संघ के पदधारक भी हिस्सा लेंगे।

❖ संकुल संघ गुणवत्ता समिति की बैठक का एजेंडा :

- संकुल संघ की स्थापना जैसे : कार्यालय – भवन, कार्यालय के सामग्रियों की खरीदारी, क्लस्टर फैसिलिटेटर और संकुल संघ – लेखापाल का चयन एवं प्रशिक्षण
- कार्य – प्रदर्शन / उपलब्धि के आधार पर संकुल संघ का ग्रेडिंग :
 1. 'A' ग्रेड ग्राम संगठन एवं समूह
 2. ग्राम संगठन से संकुल संघ में आई. सी. एफ. की वापसी
 3. समूह – बैंक ऋण की वापसी / एन. पी. ए.
 4. संकुल संघ में निष्क्रिय फण्ड / आई. सी. एफ. का रोटेशन
 5. संकुल संघ स्तर पर ओ. एस. एस. (Operational Self Sufficiency)
 6. स्वच्छता, ओ. डी. एफ. आदि में प्रदर्शन / उपलब्धि।
- वार्ड / गाँव/ पंचायत – संतृप्ता की स्थिति
- समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल संघ का मोड्यूलर प्रशिक्षण, कैडर का प्रशिक्षण
- कैडर – मानदेय की स्थिति
- सामान्य जीविकोपार्जन गतिविधि (श्री विधि से खेती, किचेन गार्डन, लघु उद्योग, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोज़गार इत्यादि) की स्थिति
- सरकारी योजना, बीमा और पेंशन की स्थिति
- स्वच्छता और ओ. डी. एफ. में उपलब्धि एवं प्रगति
- संकुल संघ एवं प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा संयुक्त रूप से फॉलो अप योजना तैयार करना।
- अन्य

प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई द्वारा बैठक – कार्यवाही पुस्तिका और संकुल संघ का ग्रेडिंग को संकलित कर जिला परियोजना समन्वयन इकाई को भेजा जायेगा। प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई, संकुल संघ की प्रगति और समस्याओं का प्रतिवेदन और साथ में फॉलो अप योजना तथा जिला परियोजना समन्वयन इकाई से अपेक्षित मदद के बारे में भी लिखित रूप से बताएँगे, जिसकी प्रतिलिपि संकुल संघ को भी उपलब्ध होना चाहिए।

❖ प्रखंड स्तरीय संकुल संघ गुणवत्ता समिति की भूमिका एवं जिम्मेदारी

क्र.	कार्य	उत्तरदायित्व
1	संकुल संघ की स्थापना सुनिश्चित करना – कार्यालय भवन, संकुल संघ का ग्राम संगठन एवं प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई के साथ ऐम. ओ. यू. (MOU) कार्यालय के सामग्रियों की खरीदारी और संकुल संघ के पुस्तकों का संधारण।	संकुल संघ – एंकर (CLF Anchor)
2	समूह, ग्राम संगठन एवं संकुल संघ का मासिक प्रतिवेदन और समूह एवं ग्राम संगठन के ग्रेडिंग को सुनिश्चित करना	संकुल संघ – एंकर (CLF Anchor)
3	संकुल संघ के उप – समिति का समय पर गठन, प्रशिक्षण एवं कार्यशीलता को सुनिश्चित करना	संकुल संघ – एंकर (CLF Anchor)
4	समय से कैडर की समीक्षा एवं मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करना	प्रखंड परियोजना प्रबंधक
5	समूह, ग्राम संगठन, संकुल संघ एवं कैडर का प्रशिक्षण तथा एक्सपोज़र	प्रखंड परियोजना प्रबंधक
6	आई. सी. एफ. का प्रबंधन उचित ढंग से सुनिश्चित करना	संकुल संघ – एंकर
7	वैधानिक आवश्यकता और अनुपालन (Compliance) को पूरा करना (निबंधन, वार्षिक अंकेक्षण, वार्षिक आम सभा, विशेष आम सभा, प्रतिनिधि निकाय एवं निदेशक मंडल का बैठक, वार्षिक रिटर्न फाइलिंग इत्यादि)।	प्रखंड परियोजना प्रबंधक
8	विभिन्न जीविकोपार्जन गतिविधियों का संचालन	प्रखंड परियोजना प्रबंधक

जिला परियोजना समन्वय इकाई एवं प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई, संकुल संघ को उपर्युक्त सहायता देना सुनिश्चित करेंगे। संकुल संघ को जिला परियोजना समन्वय इकाई एवं प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई से उचित समन्वयन / ताल मेल बनाने और जरुरत के हिसाब से दिनोदिन सिखाने के लिए प्रत्येक संकुल संघ में एक संकुल संघ – एंकर पर्सन होगा।

❖ संकुल संघ – एंकर पर्सन की भूमिका एवं जिम्मेदारी

संकुल संघ – एंकर पर्सन, जिला के सम्बंधित विषयगत प्रबंधक, संकुल संघ स्तरीय कैडर एवं संकुल संघ के निदेशक मंडल के साथ उचित समन्वयन / ताल मेल के साथ संकुल संघ की क्षमता बढ़ाने, उचित प्रणाली विकसित करने और विभिन्न गतिविधियों का सामुदायिकरण के लिए कार्य करेंगे। इनका प्रमुख कार्य निम्न होगा :

- आम निकाय / प्रतिनिधि निकाय / निदेशक मंडल के बैठक के लिए प्रेरित करना और उस बैठक के एजेंडा निर्धारण में मदद करना।
- संकुल संघ के प्रतिनिधि निकाय, निदेशक मंडल और कैडर को प्रशिक्षण प्रदान करना।
- कैडर की नियुक्ति, प्रशिक्षण एवं समीक्षा में संकुल संघ को सहयोग प्रदान करना।
- संकुल संघ को प्रशासन, वित्तीय और वैधानिक व्यवस्था स्थापित करने में मदद करना।
- ग्राम संगठन का ग्रेडिंग और सामुदायिक संस्थाओं में समुदाय आधारित ग्रेडिंग व्यवस्था को विकसित करने के लिए प्रेरित करना।
- विभिन्न दिशानिर्देशों पर उन्मुखीकरण और उन दिशानिर्देशों को लागू करने के लिए प्रेरित करना।
- उप – समिति का निर्माण के लिए फैसिलिटेसन और उप-समितियों का प्रशिक्षण, परिभ्रमण और आवश्यकता आधारित कार्य देकर क्रियाशील बनाना।
- आई.सी.एफ. / सामान्य ऋण वापसी के लिए सामुदाय आधारित तरीका विकसित करना।
- समूह का बैंक लिंकेज और एन.पी.ए. (NPA) प्रबंधन के लिए संकुल संघ को प्रेरित करना।
- संकुल संघ के कार्यक्षेत्र में सामान्य जीविकोपार्जन गतिविधि (श्री विधि से खेती, किचेन गार्डन, लघु उद्योग, युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोज़गार इत्यादि) को बढ़ावा देना।
- सामुदायिक संस्थाओं को स्वास्थ्य, पोषण, स्वच्छता पर प्रशिक्षण और ओ.डी.एफ.-लामबंदी के लिए प्रेरित करना।
- सदस्यों का सरकारी योजना एवं कार्यक्रम के साथ जुड़ाव (जैसे – मनरेगा, पेंशन, बीमा इत्यादि) के लिए संकुल संघ को प्रेरित करना।
- युवाओं को कौशल प्रशिक्षण एवं रोज़गार के लिए समुदाय - लामबंदी के लिए प्रेरित करना।
- संकुल संघ में ग्राम संगठन द्वारा जमा किये गए सूक्ष्म नियोजन को ऋण समिति बैठक आयोजित कर मूल्यांकन के बाद ग्राम संगठन के आई.सी.एफ. / सामान्य ऋण को स्वीकृत करने में मदद करना।
- प्रशिक्षण और स्थापित मानदंड के द्वारा संकुल संघ को सामुदायिक खरीदारी प्रक्रिया में मदद करना।
- संकुल संघ को वार्षिक कार्य योजना एवं बजट बनाने एवं योजनुसार कार्य करने के लिए प्रेरित करना।
- संकुल संघ को वार्षिक आम सभा / विशेष आम सभा के लिए प्रेरित करना।
- संकुल संघ को निबंधन, वार्षिक अंकेक्षण, वार्षिक रिटन फाइलिंग इत्यादि के लिए प्रेरित करना।
- संकुल संघ को सामुदायिक शिकायत निवारण क्रियाशीलता के लिए प्रेरित करना।
- यह सुनिश्चित करना कि संकुल संघ उपयोगिता प्रमाण पत्र समय पर जमा करे।
- एम. आई. एस. को फैसिलिटेट करना।

4. संकुल संघ को उम्र आधारित सहायता (Age Specific Support to the CLFs)

संकुल संघ को उम्र के हिसाब से सशक्तिकरण, परिपक्वता और स्थायित्व पाने के लिए जिला परियोजना समन्वय इकाई एवं प्रखंड परियोजना क्रियान्वयन इकाई की सहयोग की आवश्यकता है।

❖ दो वर्ष तक के संकुल संघ को सहयोग

- संकुल संघ के प्रतिनिधि निकाय / निदेशक मंडल को मोड्यूलर प्रशिक्षण।
- संकुल संघ का कार्यालय भवन एवं कार्यालय के सामग्रियों की खरीदारी।
- संकुल संघ के खरीदारी उप -समिति को प्रशिक्षण।
- संकुल संघ को कैडर पॉलिसी और सामुदायिक मानव संशाधन प्रणाली विकसित करने के लिए प्रशिक्षण।
- संकुल संघ – लेखापाल और क्लस्टर फैसिलिटेटर का चयन।
- संकुल संघ – लेखापाल को 'लेखांकन' और क्लस्टर फैसिलिटेटर को 'सामुदायिक संस्था - प्रक्रिया एवं गुणवता' पर प्रशिक्षण।
- संकुल संघ को सामुदायिक संस्था के मासिक प्रतिवेदन एवं ग्रेडिंग प्रपत्र पर प्रशिक्षण।
- ग्राम संगठन का समुदाय आधारित ग्रेडिंग व्यवस्था को विकसित करना और प्राप्त कमी के आधार पर कैडर, प्रतिनिधि निकाय / निदेशक मंडल और उप - समिति का फॉलो अप योजना बनाना।
- संकुल संघ को सूक्ष्म नियोजन, फण्ड रोटेशन, ऋण वापसी एवं सामुदाय आधारित ऋण वापसी पद्धति विकसित करने के लिए प्रशिक्षण देना।
- 'कैडर समीक्षा एवं उसके आधार पर मानदेय का भुगतान' की पद्धति विकसित करना।
- संकुल संघ को यह फैसिलिटेट एवं मदद करना कि वह गरीब परिवारों का समायोजन समूह में कर गावों को संतृप्त करने का कार्य स्वयं से करें।

❖ दो वर्ष से अधिक के संकुल संघ को सहयोग

- वार्षिक कार्य योजना बनाने और उस पर कार्य करने के लिए रणनीति बनाने में मदद करना।
- संकुल संघ को सी.आर.पी. का चयन, प्रशिक्षण एवं उसे मान्यता देने के बाद तालिका (Roster) को अद्यतन करने में मदद करना।
- संकुल संघ के द्वारा समूह बैंक ऋण वापसी और एन.पी.ए. का सामुदाय आधारित ऑकलन एवं फॉलो अप के लिए फैसिलिटेट एवं मदद करना।
- संकुल संघ को बैंक लिंकेज प्रपत्र एवं बीमा प्रपत्र तैयार करने के लिए प्रशिक्षण देना और प्रपत्र तैयार करने की जिम्मेदारी लेने के लिए प्रेरित करना।
- यह प्रेरित करना कि आई.सी.एफ. - रोटेशन की पूर्ण जवाबदेही संकुल संघ की है।
- संकुल संघ में 'सामुदायिक शिकायत निवारण पद्धति' को विकसित करने में मदद करना।
- संकुल संघ में कम्युनिटी रिसोर्स पूल बनाने में मदद करना।
- संकुल संघ को स्वास्थ्य, पोषण, एवं स्वच्छता पर उन्मुखीकरण और जवाबदेही लेने के लिए प्रेरित करना।
- संकुल संघ को ओ.एस.एस. (Operational Self Sufficiency) पर प्रशिक्षण देना और ओ.एस.एस. की स्थिति की मासिक समीक्षा के लिए प्रेरित करना।
- संकुल संघ को जीविकोपार्जन मैपिंग करने में मदद करना और सामान्य जीविकोपार्जन एवं छोटे उद्योग के गतिविधियों के लिए प्रेरित करना।
- संकुल संघ को संबंधित बैंक के प्रगति और मुद्दों के साथ बी.एल.बी.सी. (Block Level Bankers Committee) बैठक में हिस्सा लेने के लिए प्रेरित करना।
- संकुल संघ को कैडर, सामुदायिक संस्था और उपसमिति के प्रशिक्षण का आंकलन करने में मदद करना और उनके प्रशिक्षण और एक्सपोज़र के लिए संकुल संघ को जवाबदेही लेने के लिए प्रेरित करना।

- १८५।
- सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रम के साथ आवश्यकता अनुसार जुड़ाव के लिए प्रेरित करना जैसे -
पेंशन, मनरेगा, बीमा इत्यादि।

जिला परियोजना प्रबंधक एवं प्रखंड परियोजना प्रबंधक को यह निर्देशित किया जाता है कि संकुल संघ के सशक्तिकरण के लिए ऊपर वर्णित प्रक्रियाओं को लागू करेंगे।



(बालामुरुगन डी.)

(मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी एवं राज्य मिशन निदेशक)

प्रतिलिपि:

1. सभी जिला परियोजना प्रबंधक/ विषयगत प्रबंधक/प्रबंधक क्षमता वर्धन/ प्रशिक्षण अधिकारी/ प्रखंड परियोजना प्रबंधक
2. सभी परियोजना समन्वयक/ राज्य परियोजना प्रबंधक / राज्य वित्त प्रबंधक/ परियोजना प्रबंधक/ सहायक वित्त प्रबंधक
3. विशेष कार्य पदाधिकारी/ निदेशक/ मुख्य वित्त पदाधिकारी/ प्रशासी पदाधिकारी
4. सूचना एवं तकनीकि अनुभाग
5. संबंधित संचिका